न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपुतली–बहरोड़
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 2681 / 2016
रजू दिनांक :– 09.04.2016

उनवान:–

1. रोशन लाल पुत्र श्री मामन सिंह
2. मीरा देवी पुत्री मामनसिंह जाति चमार निवासीयान ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0।

.....वादीगण / अप्रार्थीगण।

बनाम

1. हजारी पुत्र दीनीया
2. गुमन पुत्र दीनीया
3. कृष्णा देवी पत्नी गुट्टा
4. सुरेश पुत्र गुट्टा
5. बलवीर पुत्र गुट्टा
6. वीना पुत्री गुट्टा
7. धर्मपाल पुत्र जयनारायण
8. लक्ष्मी देवी पत्नी बुद्धा पुत्र जयनारायण
9. ललित पुत्र बुद्धा पुत्र जयनारायण
10. अशोक पुत्र बुद्धा पुत्र जयनारायण जातियान चमार निवासीयान ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0।

असल प्रतिवादीगण / प्रार्थी0

11. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर राज0।

11. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0

12. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर बहरोड़ जिला अलवर राज0

...तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बावत इश्तकरार हक व
हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राज

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

उपस्थिति :– महेन्द्र कुमार माथुर एड0 वादीगण / अप्रार्थीगणकी ओर से।
एम.डी.शर्मा एड0 प्रतिवादी सं. 01 / प्रार्थी सं0 01की ओर से।

दिनांकः– 25.01.2024

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि आराजी साविक ख.नं. 1659 / 2–16 बिस्वा, 1661 / 2–14 बिस्वा वाके ग्राम गुगलकोटा के भाग का खातेदार काश्तकार गोरधन, दीलिप पुत्रान नेतराम थे जिसने जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 15.01.1987 को उनके हक व हिस्से की आराजी 23,000 रूपये में वादीण के पिता मामन सिंह को विक्रय कर कब्जा सम्भलवा दिया था पूर्व में मामन सिंह अब मौजूदा में उनके पुत्र वारिस वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है।

2. यह कि वादीगण के पिता मामन सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादी संख्या 1 उनका पुत्र एवं वादी संख्या 2 उनकी पुत्री है अन्य कोई वारिस नहीं है मौजूदा में दोनों के नाम का इन्द्राज रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो चुका ह।

3. यह है कि खसरा नम्बर 1659 व 1661 के बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 1734 रकबा 97 ऐयर 1735 रकबा 10 ऐयर, 1741 रकबा 26 ऐयर, 1736 रकबा 19 ऐयर 1738 रकबा 24 ऐयर वाकै मोजा गुगल कोटा तह0 बहरोड़ बनाये गये है।

4. बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्व रूप से वादीगण की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दी है। जबकि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राज के अनुसार ही अंकन करना चाहिए था।

5. उक्त आराजी का कुछ भाग राज्य सरकार के प्रयोजन के लिए रिको द्वारा आवाप्त किया गया है। गलत इन्द्राज के आधार पर आवाप्त की गई भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने सहमति से मुआवजा प्राप्त कर लिया और प्रतिवादीगण ने कहा कि रिकॉर्ड बाद में दुरूस्त करा लेंगे। इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए दिनांक 25.07.2022 को प्रतिवादी सं. 01 की ओर से प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया कि उक्त उनवान के मुकदमा मे वर्णित आराजी में वादीगण के नाम से उनके पिता द्वारा खरीदसूदा हिस्सा सही दर्ज है तथा मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उक्त आराजी के 1/3 भाग के ,खातेदार काबिज थे उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। तथा रीको द्वारा इस भूमि में से जो भूमि आवाप्त की गई है उसका मुआवजा हम पक्षकारांन द्वारा हिस्से अनुसार प्राप्त कर लिया है। राजस्व रिकॉर्ड में कोई गलती नहीं है। लेकिन वादीगण द्वारा बिना काज ऑफ एक्सन के व बिना किसी हक अधिकार के हम वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए झूठा दावा पेश किया है जो दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दि की परिधि में आने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण में हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रा.पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाव पेश किया कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी का प्रा0पत्र गलत है स्वीकार नही है।प्रतिवादी रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने एवं उत्तराधिकार में प्राप्त आराजी के विषय को चुनौती दी है एवं दुरूस्त इन्द्राज नहीं करके दावा खारिज करने का प्रार्थना पत्र जो बिना वजह बिना उचित कारण के प्रस्तुत किया है। न्यायालय श्रीमान को ही दुरूस्त इन्द्राज के दावे संबंधी विवाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। बयनामा में गलत रकबा एवं गलत विधि विरूद्व बयनामा है तो उसकी चुनौती देने एवं सुनवाई करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस स्तर पर काबिल गौर नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान इस स्तर पर लागू नहीं होते है तथा टाइटल संबंधी अधिकार मौजूदा न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में है। मुआवजा प्रतिवादीगण हजारी व गूगनराम पुत्रान दीनाराम ने 17 ऐयर का गलत रूप से प्राप्त किया है जिसकी रीको पेमेन्ट शीट संलग्न है। जबकि हम वादीगण रोशनलाल पुत्र मामनसिंह, मीरा पुत्री मामनसिंह कृष्णा देवी पत्नी गुट्टाराम सुरेश कुमार बलविन्द्र कुमार पुत्रान गुटटाराम वीना पुत्री गुटटाराम एवं धर्मपाल व बुद्वा पुत्रान जयनारायण ने मात्र 2 का मुआवजा प्राप्त किया है जिसकी रीको पेमेन्ट शीट संलग्न है। अतः स्पष्ट है कि हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। वादी ने ऐसा कोई भी कारण दर्ज नही किया है जिससे कि क्षेत्राधिकारीता का प्रश्न विचारणीय योग्य हो एवं इसी स्तर पर सुनवाई योग्य हो न्यायालय समस्त प्रश्नों का निर्णय अंतिम बहस के समय ही करेगा। उसी समय निस्तारण हो सकेगा।

अतः बिना विधिक कारण के प्रार्थना पत्र होने के कारण एवं तथ्य हीन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न मुआवजा शीट दिनांक 10.08.2020 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त विवादित आराजी में से कुछ भूमि आवाप्त की गई। जिसकी मुआवजा शीट के अनुसार पक्षकारान में अपने हिस्से अनुसार मुआवजा प्राप्त किया है। भूमि आवाप्ति द्वारा पक्षकारान को दिनांक 25.02.2011 मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस भी जारी किया गया था। वादीगण को दिनांक 25.02.2011 के पश्चात से ही रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से की पूर्ण जानकारी रही है और हिस्से अनुसार ही वादीगण ने मुआवजा प्राप्त किया है। परन्तु रिकॉर्ड की पूर्ण जानकारी रहते हुए वादीगण ने यह वाद 09.04.2015 को रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया है यानी वादीगण को जानकारी रहने के पश्चात चार वर्ष पश्चात विलम्ब से दावा पेश किया है। इसके अलावा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, नकलबयनामे आदि के अवलोकन से भी रिकॉर्ड में गलती होना प्रतित नहीं होता है। वादीगण को यह वादी करने हेतु कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है इसलिए वादीगण को वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दि0 की परिधि में आने के कारण खारिज योग्य है एवं प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दि0 स्वीकार योग्य प्रतित होता है। इसलिए वादीगण का वाद वर्तमान स्टेज पर ही खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0दवामी बाबत आराजी ख0न0 हाल 1734/0.97,1735/0.10,1741/0.26,1736/0.19,1738/0.24 वाके ग्राम गूगलकोटा तह.नीमराना आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25-01-2024

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपुतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 2681/2015
रजू दिनांक :– 09.04.2015

उनवान:–

1. रोशन लाल पुत्र श्री मामन सिंह
2. मीरा देवी पुत्री मामनसिंह जाति चमार निवासीयान ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0।

.....वादीगण/ अप्रार्थीगण।

बनाम

1. हजारी पुत्र दीनीया
2. गुगन पुत्र दीनीया
3. कृष्णा देवी पत्नी गुट्टा
4. सुरेश पुत्र गुट्टा
5. बलबीर पुत्र गुट्टा
6. बीना पुत्री गुट्टा
7. धर्मपाल पुत्र जयनारायण
8. लक्ष्मी देवी पत्नी बुद्धा पुत्र जयनारायण
9. ललित पुत्र बुद्धा पुत्र जयनारायण
10. अशोक पुत्र बुद्धा पुत्र जयनारायण जातियान चमार निवासीयान ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0।

असल प्रतिवादीगण/प्रार्थी0

11. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर राज0।

11.राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0

12. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर बहरोड़ जिला अलवर राज0

...तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकसार हक व

हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राज

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

उपस्थिति :–महेन्द्र कुमार माथुर एड0 वादीगण/ अप्रार्थीगणकी ओर से।
एम.डी.शर्मा एड0 प्रतिवादी सं. 01/ प्रार्थी सं0 01की ओर से।

दिनांक 25.01.2024 **पर्चा डिक्री**

प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इश्तकसार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0दवामी बाबत आराजी ख0न0 हाल 1734/0.97,1735/0.10,1741/0.26,1736/0.19,1738/0.24 वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

25-01-2024

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)